न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः—   उम्मेदी लाल मीना (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :—   63/2024

स्टेट जरिये श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़

—प्रार्थी

—ःबनामः—

अप्रार्थी—1
सन्नी शर्मा पुत्र अमरीक लाल शर्मा (रिटेलर)
मैसर्सः—शर्मा सेल्स, दुकान नं. 78, न्यू बालाजी मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
निवासीः—वार्ड नं0 02, नई खुंजा, नजदीक जीवन माता मंदिर, हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थी—2
अनिल कुमार पुत्र मदनलाल (डीलर)
मैसर्सः—अनिल कुमार सुनिल कुमार, शॉप नं. 37, नई जनरल मार्केट हॉस्पिटल, नजदीक पुराना पावर हाउस, जिला श्रीगंगानगर।
निवासीः—वार्ड नं0 13, धान मण्डी, घड़साना, जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थी—3
M/s Pensalwar Shaileshbhai Ashok Bhai s/o Sarathee (निर्माता)
Satrod Ladwa Road, Southren Bye-Pass, Hisar
मैसर्सः—ओमसारथी डेयरी प्रोडक्ट लिमिटेड, प्लॉट नं. 91—95, ब्लॉक नं. 274 एवं 276, Satyam Indu. Estate, At Bedkuwa Najik Vyara, Gujrat.
निवासीः—R.M. Dhariwal Township, Behind Ridham Hospital, Vyara, Gujrat.

—अप्रार्थीयान

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (2) एवं धारा 51

उपस्थितः—

1. श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य पक्ष।
2. अप्रार्थीयान स्वयं उपस्थित।

—ःनिर्णयः—

दिनांक :—15.01.2025

प्रार्थी श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री सुदेश कुमार गर्ग दिनांक 08.03.2023 को समय दोपहर 02.15 बजे मय साथी टीम व समान के साथ वास्ते खाद्य पदार्थ दुकान निरीक्षण एवं नमूनीकरण मैसर्सः—शर्मा सेल्स, दुकान नं. 78, न्यू बालाजी मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़ पर पहुंचे। वहां पर सन्नी शर्मा पुत्र अमरीक लाल शर्मा (रिटेलर) निवासी—वार्ड नं. 02, नई खुंजा, नजदीक जीवन माता मंदिर, हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़ उपस्थित मिला। उक्त विक्रेता के पास आमजन के बेचान वास्ते कार्टून में लगभग 50 जार X 200 एम.एल. Cow Ghee (Shivam Gold Brand) रखे हुये थे। जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मिलावट का शक होने पर विक्रेता से 04 जार X 200 एम.एल. Cow Ghee (Shivam Gold Brand) नमूना जांच वास्ते क्रय कर लिया। मौके पर ही विक्रेता को उक्त Cow Ghee (Shivam Gold Brand) के खरीद मूल का 320/—रूपये का नगद भुगतान किया तथा माल खरीद [illegible] जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। माल खरीद [illegible] कैश मीमो परिवाद संग संलग्न है। प्रार्थी द्वारा सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नं 5 ए की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया कि नमूना वास्ते जांच लिया गया है। फार्म 5 ए पर विक्रेता तथा गवाहान ने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं. 5 ए की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खरीदशुदा 04 जार X 200 एम.एल. वजनी Cow Ghee (Shivam Gold Brand) को चार लेबल तैयार कर लेबल पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर कर लेबल स्लिप कोड नं. एके—2465 मिन पर दर्ज कर चारों जार पर चिपकाया। प्रत्येक जार को मोटे खाकी कागज में लपेटकर ऊपर से नीचे मुख्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.02.24 19:03:49 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णायक अधिकारी एवम्
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ एवं जिला अभिहित अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित पेपर स्लिप कोड नं. एके–2465 मिन पर दर्ज कर चारों जार पर चिपकाया। प्रत्येक जार को नियमानुसार मोटे सफेद धागे से बांधा व चार–चार जगह से सील चपड़ी किया। सील्ड नमूने पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे में लिया। समस्त की गई कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर विक्रेता एवं गवाहान को समझा व सुनाकर हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फार्म नं0 6 कार्यालय में तैयार किया एवं नमूना सील किया गया। एक नमूना मय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सील मोहर कर श्रीमान खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर को जांच हेतु जमा कराया गया। फूड एनालिस्ट पब्लिक हैल्थ लैबोरेट्री से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ ने प्रार्थी (आवेदक) को नमूने की जांच रिपोर्ट क्रमांक 245 दिनांक 20.03.2023 जिसके अनुसार नमूना जांच Unsafe Food प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी ने उक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/5651–52 दिनांक 22.03.2023 द्वारा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा सूचित किया। विक्रेता ने नमूने के द्वितीय भाग को पुनः जांच करवाने वास्ते मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ को निवेदन किया। जिस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पुनः नमूने के द्वितीय भाग को Referral Food Laboratory, CFTRI, Mysore भिजवाया। निदेशक, रैफरल फूड लैब, मैसूर की रिपोर्ट संख्या 369 F/FSSA/2023 दिनांक 14.07.2023 द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में उक्त नमूने को Substandard Food होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कार्यालय के पत्रांक एफएसएसए/2023/12744 दिनांक 28.07.2023 द्वारा विक्रेता को 07 दिवस में फर्म का खाद्य लाईसेंस/प्रोपराईटर पहचान पत्र/जीएसटी रजिस्ट्रेशन एवं संबंधित माल Cow Ghee (Shivam Gold Brand) का क्रय बिल प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। संबंधित विक्रेता ने उक्त खाद्य पदार्थ मैसर्स–अनिल कुमार पुत्र सुनील कुमार, शॉप नं. 37, न्यू जनरल मर्चेन्ट होलसेलर, नजदीक पुरानी पावर हाउस, जिला श्रीगंगानगर से क्रय करना बताया। जिसका इनवाईस नं. AS/2022-23/00583 दिनांक 03.03.2023 फर्म द्वारा संलग्न किया गया। प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/16749 दिनांक 10.10.2023 द्वारा मैसर्स–अनिल कुमार पुत्र सुनील कुमार, शॉप नं. 37, न्यू जनरल मर्चेन्ट होलसेलर, नजदीक पुरानी पावर हाउस, जिला श्रीगंगानगर को 07 दिवस में फर्म का खाद्य लाईसेंस/प्रोपराईटर पहचान पत्र/जीएसटी रजिस्ट्रेशन एवं संबंधित माल Cow Ghee (Shivam Gold Brand) का क्रय बिल प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। पत्र के उत्तर में फर्म अनिल कुमार पुत्र सुनील कुमार द्वारा फर्म का खाद्य लाईसेंस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उत्तरदायी व्यक्ति का आधार कार्ड एवं इनवाईस संख्या–68 दिनांक 10.01.2023 द्वारा उक्त सामग्री निर्माण इकाई M/s Omsarthi Dairy Products Ltd, Plot No. 91 to 95, Block No. 274 & 276, Satyam Indu. Estate, At Bedkuwa Najik Vyara, Gujrat, 394650 से क्रय करना बताया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पत्रांक 8321 दिनांक 31.10.2023 द्वारा निर्माण इकाई से खाद्य लाईसेंस, आधार कार्ड, जीएसटी वैट रजिस्ट्रेशन एवं माल क्रय करने पर क्रय बिल की प्रति की मांग की गई। निर्माण इकाई द्वारा प्रस्तुत उत्तर के संबंध में संलग्न दस्तावेज के आधार पर निर्माण इकाई को अभियोजन में शामिल किया गया। आवेदक द्वारा अनुसंधान कार्य पूर्ण होने के बाद समस्त कागजात अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ को वास्ते लिखित अभियोजन स्वीकृति प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने समस्त कागजातों का अवलोकन कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्याय निर्णयन आवेदन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया। इस प्रकरण में अप्रार्थीयान ने Substandard खाद्य पदार्थ Cow Ghee (Shivam Gold Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (2) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 51 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के आधार पर Cow Ghee (Shivam Gold Brand) विक्रेता एवं मालिक एफएसएसए 2006 की धारा 31 की श्रेणी में आते हैं। इसलिए विक्रेता पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी [illegible] अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधि[illegible]य मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हो[illegible]। अप्रार्थीयान को नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत [illegible] पावती संलग्न पत्रावली है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.02.24 19:03:49 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी–1 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर नमूना पदार्थ अप्रार्थी–2 [illegible] खरीद करना बताया। अप्रार्थी–02 ने स्वयं उपस्थित होकर कथन किया कि वह केवल मात्र डीलर है जबकि उक्त पदार्थ का निर्माता अप्रार्थी–3 है। अप्रार्थी–3 की ओर से एरिया सैल्स मैनेजर द्वारा स्वयं उपस्थित होकर कथन किया कि उक्त नमूने के मानकों में लैब रिपोर्ट के अनुसार नाममात्र अंतर पाया गया है। अप्रार्थी द्वारा अब सुधार कर लिया गया है। भविष्य में गलती का दोहराव नहीं होगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लैब रिपोर्ट के अनुसार अधिक से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवम्
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

हमने उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया व पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थीयान द्वारा खण्डन किसी प्रकार का साक्ष्य आधारित नहीं किया गया है और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से निरीक्षण के दौरान क्रय किये गये Cow Ghee (Shivam Gold Brand) की जांच में Substandard की रिपोर्ट आई है। ऐसी स्थिति में हम अन्य साक्ष्यों को तलब करना आवश्यक नहीं समझते हैं और स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीयान द्वारा Substandard Cow Ghee (Shivam Gold Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः अप्रार्थीयान द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थीयान के Substandrad कृत्य के लिए धारा 51 के तहत अप्रार्थी–1 पर 5,000/–(अखरे रूपये पांच हजार मात्र), अप्रार्थी–2 पर 5,000/–(अखरे रूपये पांच हजार मात्र) एवं अप्रार्थी–3 पर 10,000/–(अखरे रूपये दस हजार मात्र) एवं इस प्रकार प्रकरण में कुल 20,000/–(अखरे रूपये बीस हजार मात्र) की शास्ति आरोपित की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि लगाई गई शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निर्णय से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की एक–एक प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 15.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदी लाल मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.02.24 19:03:49 IST
Reason: SelfAttested